



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225165
CG-DL-E-15022021-225165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]
No. 620]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2021

का.आ. 674(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, बिहार राज्य के रोहतास जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जिला भूमि अर्जन अधिकारी, रोहतास, सासाराम, बिहार को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य में रोहतास जिले के अन्दर विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं०	प्लॉट सं०	रकबा हेक्टेअर में
1	2	3	4	5	6	7
1	रोहतास	सासाराम	करवन्दिया	220	279	0.0720
2		शिवसागर	रसेन्दुआ	14	372	0.0203
3		शिवसागर	निमियां	25	31	0.0365
4		शिवसागर	समहुती	53	47	0.2110
5		शिवसागर	कुम्हऊ	96	319	0.0180
6					360	0.0068
7					317	0.0038
8		शिवसागर	बरैला	43	197	0.0121
9					64	0.0092
10		शिवसागर	किरहिण्डी	55	1285	0.0081
11		डिहरी	तेन्दुआदुसाधी	152	671	0.0111

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2120]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टेट. वि.)

MINISTRY OF RAILWAY

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2021

S.O. 674(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Rohtas in the State of Bihar hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, District Land Acquisition Officer, Rohtas, Sasaram, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Rohtas in the State of Bihar.

Sl. No.	Name of District	Name of Circle	Name of Village	Thana No.	Plot No.	Area in Hactare
1	2	3	4	5	6	7
1	Rohtas	Sasaram	Karwandia	220	279	0.0720
2		Shivsagar	Rasendua	14	372	0.0203
3		Shivsagar	Nimiya	25	31	0.0365
4		Shivsagar	Samhuti	53	47	0.2110
5		Shivsagar	Kumhau	96	319	0.0180
6					360	0.0068
7					317	0.0038
8		Shivsagar	Baraila	43	197	0.0121
9					64	0.0092
10		Sasaram	Kirhindi	55	1285	0.0081
11		Dehri	Tenduadusadhi	152	671	0.0111

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2120]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)